न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः नित्या के0, आई.ए.एस.)

वाद पत्र सं0— 152/2013
प्रविष्टि दिनांक —03.05.2013

उनवानी

श्योजी पुत्र भूरा जाति अहीर निवासी शकूरपुरा तहसील टोंक जिला टोंक

— वादी

बनाम

1. लादू पुत्र श्रीनारायण अहीर निवासी शकूरपुरा तहसील व जिला टोंक राज0
2. गोपी पुत्र लक्ष्मण अहीर निवासी शकूरपुरा तहसील व जिला टोंक राज0
3. छोटू पुत्र लक्ष्मण अहीर निवासी शकूरपुरा तहसील व जिला टोंक राज0
4. किशना पुत्र श्रीनारायण जाति अहीर निवासी शकूरपुरा तहसील व जिला टोंक राज0
5. प्रहलाद पुत्र श्रीनारायण जाति अहीर निवासी शकूरपुरा तहसील व जिला टोंक राज0
6. तहसीलदार टोंक तहसील टोंक

— प्रतिवादीगण

उपस्थित— श्री महेश शर्मा —अधिवक्ता वादी
श्री विजय बहादुर सिंह —अधिवक्ता प्रतिवादी 02
श्री रजनीश यादव —अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दावा उद्घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज

दिनांक 31-12-2020

वादपत्र यह है कि भूमि आराजी खसरा नम्बर 422 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम शकूरपुरा तहसील टोंक जिला टोंक राज0 में स्थित है, उक्त आराजीयात का तकासमा होकर हाल राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण के नाम अलग अलग अंकन हो रखा है। और वादी व प्रतिवादीगण अपनी—अपनी भूमि पर काबिज है। उक्त आराजी ख0नं0 422 के साबिक ख0नं0 319 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा था। उक्त साबिक आराजी को मोमिया ट्रेस बन्दोबस्त सम्वत 2028 में सही रूप से प्रदर्शित किया हुआ है इस भूमि के अडवा खसरा नं0 320 जिसके हाल खसरा नम्बर 423 है उक्त खसरा नं0 423 को उक्त मोमियां शीट में उत्तर से दक्षिण सीधी लाईन से प्रदर्शित कर रखा है, जो प्रतिवादी संख्या 2 की खातेदार के अनुसार पुरा रकबा बैठा हुआ है। प्रतिवादी संख्या 2 जो कि चालाक किस्म का व्यक्ति है ने राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों से साज करके गलत रूप से हाल शीट में जो खसारा नं0 423 प्रतिवादी संख्या 2 की खातेदारी में अंकित है, ने साजिश करके उत्तर दक्षिण मोमिया शीट के अनुसार सीधी लाईन से प्रदर्शित किया हुआ था, को ख0नं0 415 के अडवा लाईन को काट कर ख0नं0 416 की तरफ पूर्व पश्चिम लाईन हाल नक्शा ट्रेश में अंकित करवा दी, जिससे ख0नं0 422 का रकबा मुताबिक शीट कम हो गया तथा ऐसा करने से ख0नं0 423 का रकबा हाल शीट के मुताबिक बढ गया है। इसलिए शीट हाल में मोमिया शीट बन्दोबस्त सम्वत 2028 के अनुसार ख0नं0 423 को हाल शीट में उत्तर दक्षिण सीधी लाईन में प्रदर्शित कर शीट को पूर्व की भांति दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। प्रतिवादी सं0 2 उक्त हाल शीट में गलत रूप से ख0नं0 423 की तरमीम करवाने में अब वह उक्त खेत ख0नं0 422 में प्रवेश करने तथा वादी को उसकी भूमि को काश्त करने में मजाहमत करने लग गया है, जबकि प्रतिवादी संख्या 2 को उक्त ख0नं0 422 की भूमि से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। किन्तु शीट के गलत रूप से तरमीम करने से अब वह वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत करने लग गया है इस कारण प्रतिवादी संख्या 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वह ख0नं0 422 की भूमि में वादी को कब्जे काश्त में मजाहमत नही करे तथा उक्त भूमि में जबरन प्रवेश नही

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

2

करे, वादी को बेदखल नही है न करावे। अतः वाद मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत दुरूस्ती शीट पारित फरमायी जाकर भूमि ख0नं0 422 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा वाके शकूरपुरा तहसील टोंक को सम्वत 2028 बन्दोबस्त शीट मोमिया में प्रदर्शित किया हुआ था, उसी अनुसार हाल शीट में प्रदर्शित करवायी जाकर शीट की दुरूस्ती की जाये तथा प्रतिवादी संख्या 2 के खेत खसरा नम्बर 423 को मोमियां शीट के अनुसार उत्तर दक्षिण सीधी लाईन के अनुसार हाल शीट में दुरूस्ती की जाये तथा ख0नं0 422 में की गई पूर्व पश्चिम लाईन को हाल शीट में हटवाई जाये और शीट को मोमियां शीट के दुरूस्त करवायी जाये। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सं0 2 बाबत स्थायी निषेधाज्ञा पारित फरमायी जाकर प्रतिवादी सं0 2 को हमेशा हमेश के लिए पाबन्द किया जाये कि वह स्वयं जरिये एजेन्ट, नौकर, रिश्तेदार या अन्य दीगर व्यक्ति के भूमि ख0नं0 422 वाके ग्राम शकूरपुरा में वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत नहीं करे तथा उक्त भूमि मे प्रवेश नहीं करे, न करावे। खर्चा मुकदमा दिलाया जाये। अन्य जो सहायता वादी के हित में उचित, आवश्यक एवं लाभप्रद हो प्रदान की जाये।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे जमाबंदी संवत 2069–72, खसरा गिरदावरी सम्वत 2069 नक्शा ट्रेस मोमियां शीट प्रमाणित प्रतियां आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 4 की ओर से प्रस्तुत जवाब दावा में अंकितानुसार दावा वादी इस्तदुआ के अनुसार दावा डिक्री कर दिया जाये। प्रतिवादी संख्या 2 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर विशेष आपत्तियों में अंकितानुसार प्रतिवादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि ख0नं0 423 को नक्शा शीट में राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा सही रूप से उसके कब्जे के अनुसार अंकित किया हुआ है। वादी की नियत में बेईमानी है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 की उक्त भूमि रोड के सहारे स्थित है और वादी अब स्वयं की भूमि को रोड के सहारे लेने के लिए झूठे तथ्यों के आधार पर यह वाद पेश किया है। जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 5 ने आपस में साज करके पेश किया है। जो चलने योग्य नहीं है और निरस्त योग्य है। वास्तविकता यह है कि इस वाद के अलावा पूर्व में भी वादी के पिता भूरा व इस वाद के प्रतिवादी संख्या 4, 5 किशना व प्रहलाद ने मिलकर उनवानी वाद प्रहलाद आदि बनाम गोपी आदि वाद बाबत शीट दुरूस्ती पेश किया था। जो पूर्व में ही वादीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होने के कारण अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया था। वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 3 ता 5 ने आपस में साजिश करके पुनः यह नया वाद पेश किया है जो धारा 10 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार चलने योग्य नही है। क्योंकि पूर्व के वाद व इस वाद में समान पक्षकारान व समान आराजी है। यदि वादी को किसी प्रकार की कोई अधियाचना चाहिए थी तो वह पूर्व वाद उनवानी प्रहलाद आदि बनाम गोपी आदि को बाजदायरी प्रस्तुत कर पुनः नम्बर पर लेकर उसमें कार्यवाही कर सकते थे। नये सिरे उसी भूमि के सम्बन्ध में यह वाद चलने योग्य नहीं है और निरस्त योग्य है। प्रतिवादी संख्या 2 जो उक्त आराजी ख0नं0 423 का तन्हा मालिक, स्वामी, काबिज व खातेदार है यदि खातेदार को पाबन्द कर दिया गया तो प्रतिवादी सं0 2 को अपार, अपरिमित, अकथनीय हानि होगी। वादी व प्रतिवादी सं0 1, व 3 ता 5 निषेधाज्ञा की आड में प्रतिवादी सं0 2 को बेदखल करने में कामयाब हो जायेगें, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में सम्भव नहीं हो सकेगी। अतः जवाब दावा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी सं0 2 मय हर्जा खर्चा निरस्त किया जाये।

प्रकरण में वादपत्र एवं जवाब के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गयी –

तनकी संख्या 1 – आया वादी आराजी ख.न. 422 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम शकूरपुरा तहसील टोंक में स्थित है। उक्त आराजी ख.न. 422 का साबिक ख.न. 319 था। उक्त साबिक आराजी को मोमिया ट्रेस बन्दोबस्त सम्वत 2028 में सही रूप से प्रदर्शित किया हुआ है जिसमें उक्त आराजी के अडवा साबिक ख.न. 320 जिसके हाल ख.न. 423 है को उक्त मोमिया शीट में उत्तर से दक्षिण सीधी लाईन से प्रदर्शित कर रखा है। प्रतिवादी संख्या 2 ने राजस्व कर्मचारियों से साज करके गलत

उ० अधिकारी
क (राज.)

रूप से हाल शीट में ख.न. 423 जो प्रतिवादी संख्या 2 की खातेदारी में अंकित है को ख.न. 415 के अडवा लाईन को काट कर ख.न. 416 की तरफ पूर्व पश्चिम लाईन हाल नक्शा ट्रेस में अंकित करा दिया जिससे ख.न. 422 का रकबा मुताबिक शीट कम हो गया एवं ख.न. 423 का रकबा हाल शीट मुताबिक बढ़ गया है। वादी हाल शीट में मोमिया शीट बन्दोबस्त सम्वत 2028 अनुसार ख.न. 423 को हाल शीट में उत्तर दक्षिण सीधी लाईन से प्रदर्शित कर शीट को पूर्व की भांति दुरूस्त करवाने का अधिकारी है ?

वादी

तनकी संख्या 2 – आया वादी प्रतिवादी संख्या 2 ने हाल ख.न. 423 की हाल शीट में गलत रूप से तरमीम करवाकर, प्रार्थी वादी के आराजी ख.न. 422 में वादी के कब्जेकाश्त में मजाहमत करते है। वादी प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने का अधिकारी है?

वादी

तनकी संख्या 3 – आया प्रतिवादी संख्या 2 अपनी आराजी पर कदीम से काविज चला आ रहा है। प्रतिवादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख.न. 423 को नक्शा शीट में राजस्व कर्मचारियों द्वारा सही रूप से उसके कब्जे अनुसार अंकित किया हुआ है। प्रतिवादी उक्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार है। अतः दावा निरस्त योग्य है एवं प्रतिवाद संख्या 2 को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी नही है ?

प्रतिवादी संख्या 2

तनकी संख्या 4 – आया प्रतिवादी संख्या 2 क्योंकि प्रतिवादी की भूमि रोड के सहारे स्थित है। वादी ने स्वयं की भूमि को रोड के सहारे लाने हेतु झुठे तथ्यों के आधार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ता 5 ने आपस में साज करके यह वाद पेश किया है। पूर्व में भी प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ने मिलकर उनवानी वाद प्रहलाद आदि बनाम गोपी आदि बाबत शीट दुरूस्ती पेश किया था जो अदम हाजरी में खारिज हो गया था। पूर्व वाद व इस वाद में समान पक्षकारान व समान आराजी है। अतः यह वाद धारा 10 सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार चलने योग्य नहीं है?

प्रतिवादी संख्या 2

तनकी संख्या 5 – अनुतोष

तत्पश्चात वादी की ओर से साक्ष्य हेतु पीडब्ल्यू–1 श्योजी पुत्र भूरा, पीडब्ल्यू–2 कैलाश पुत्र भूरा एंव पीडब्ल्यू–3 नारायण पुत्र गोपाल के शपथ पत्र पेश किये गये। एवं प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता ने बयान करवाये। प्रतिवादीगण द्वारा लगभग दो वर्ष की अवधि में भी साक्ष्य पेश नहीं करने से उनकी साक्ष्य बन्दी की गयी।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी। अभिभाषकगण ने अपने–अपने प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया जिसका पृथक से विवेचन नहीं किया जा रहा है। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपस्थित साक्ष्य, दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिनके अनुसार प्रकरण में कायम की गयी तनकीयात का निम्न प्रकार निरतारण किया गया।

तनकी संख्या 1 –

आया वादी आराजी ख.न. 422 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम शकूरपुरा तहसील टोंक में स्थित है। उक्त आराजी ख.न. 422 का साबिक ख.न. 319 था। उक्त साबिक आराजी को मोमिया ट्रेस बन्दोबस्त सम्वत 2028 में सही रूप से प्रदर्शित किया हुआ है जिसमें उक्त आराजी के अडवा साबिक ख.न. 320 जिसके हाल ख.न. 423 है को उक्त

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

गोमिया शीट में उत्तर से दक्षिण सीधी लाईन से प्रदर्शित कर रखा है। प्रतिवादी संख्या 2 ने राजस्व कर्मचारियों से साज करके गलत रूप से हाल शीट में ख.न. 423 जो प्रतिवादी संख्या 2 की खातेदारी में अंकित है को ख.न. 416 के अडवा लाईन को काट कर ख.न. 416 की तरफ पूर्व पश्चिम लाईन हाल नक्शा ट्रेस में अंकित करा दिया जिससे ख.न. 422 का रकबा मुताबिक शीट कम हो गया एवं ख.न. 423 का रकबा हाल शीट मुताबिक बढ़ गया है। वादी हाल शीट में गोमिया शीट बन्दोबस्त सम्वत 2028 अनुसार ख.न. 423 को हाल शीट में उत्तर दक्षिण सीधी लाईन से प्रदर्शित कर शीट को पूर्व की भांति दुरूस्त करवाने का अधिकारी है ?

उक्त तनकी को साबित करने का दायित्व वादी पर है। जिसके लिए वादी ने स्वंय सहित कैलाश व नारायण के शपथ–पत्र पेश किये है जिन्होंने वादी के वाद की तस्दीक की है साथ ही प्रतिवादी संख्या–1 व 4 ने भी अपने जवाब दावे में वादी के वादपत्र का समर्थन किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत पटवारी हल्का वजीरपुरा की रिपोर्ट दिनांक 02.09.2011 में भी राजस्व रिकार्ड एंव मौके की जांच करने पर बन्दोबस्त की तरमीम को सही एंव वर्तमान लट्ठाशीट में की गयी तरमीम को गलत माना है। ऐनेक्सा–2 व 3 पर प्रदर्शित शीट का अवलोकन करने पर पुरानी एंव नवीन नक्शाशीट में अन्तर साफ नजर आता है कि आराजी ख.न. 422 का साबिक ख.न. 319 था। उक्त साबिक आराजी को गोमिया ट्रेस बन्दोबस्त सम्वत 2028 में सही रूप से प्रदर्शित किया हुआ है जिसमें उक्त आराजी के अडवा साबिक ख.न. 320 जिसके हाल ख.न. 423 है को उक्त गोमिया शीट में उत्तर से दक्षिण सीधी लाईन से प्रदर्शित कर रखा है। नवीन शीट में ईन्द्राज करते समय गलत रूप से हाल शीट में ख.न. 423 को ख.न. 415 के अडवा लाईन को काट कर ख.न. 416 की तरफ पूर्व पश्चिम लाईन हाल नक्शा ट्रेस में अंकित करा दिया जिससे ख.न. 422 का रकबा मुताबिक शीट कम हो गया एवं ख.न. 423 का रकबा हाल शीट मुताबिक बढ़ गया है। जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। वादी हाल शीट में गोमिया शीट बन्दोबस्त सम्वत 2028 अनुसार ख.न. 423 को हाल शीट में उत्तर दक्षिण सीधी लाईन से प्रदर्शित कर शीट को पूर्व की भांति दुरूस्त करवाने का अधिकारी पाया गया है। इस प्रकार उक्त तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 –

आया वादी प्रतिवादी संख्या 2 ने हाल ख.न. 423 की हाल शीट में गलत रूप से तरमीम करवाकर, प्रार्थी वादी के आराजी ख.न. 422 में वादी के कब्जेकाश्त में मजाहमत करते है। वादी प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पावन्द करवाने का अधिकारी है ?

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। जिसे साबित करने के लिए वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एंव साक्ष्य से यह साबित करने में वादी विफल रहा है कि शीट में गलत अंकन से प्रतिवादी को किस प्रकार पावन्द किया जावे। इस प्रकार यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 –

आया प्रतिवादी संख्या 2 अपनी आराजी पर कदीम से काबिज चला आ रहा है। प्रतिवादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख.न. 423 को नक्शा शीट में राजस्व कर्मचारियों द्वारा सही रूप से उसके कब्जे अनुसार अंकित किया हुआ है। प्रतिवादी उक्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार है। अतः दावा निरस्त योग्य है एवं प्रतिवाद संख्या 2 को किसी भी निषेधाज्ञा से पावन्द करवाने के अधिकारी नही है ?

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या–2 पर है। जिसे साबित करने के लिए उसके द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–7 नियम–11 सीपीसी भी न्यायालय द्वारा आधारहीन होने से खारिज किया जा चुका है। दौराने बहस अभिभाषक प्रतिवादी ने एक नज़ीर आरआरडी–14. 02.2016 पेज नं. 102 पेश की है। जो इस प्रकरण पर लागू नहीं होती है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या–2 तनकी को अपने पक्ष में साबित करने में विफल रहा है। इसलिए यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

अधिकारी
(राज.)

तनकी संख्या 4 –

आया प्रतिवादी संख्या 2 क्योंकि प्रतिवादी की भूमि रोड के सहारे स्थित है। वादी ने स्वयं की भूमि को रोड के सहारे लाने हेतु झुठे तथ्यों के आधार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ता 5 ने आपस में साज करके यह वाद पेश किया है। पूर्व में भी प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ने मिलकर उनवानी वाद प्रहलाद आदि बनाम गोपी आदि बाबत शीट दुरूस्ती पेश किया था जो अदम हाजरी में खारिज हो गया था। पूर्व वाद व इस वाद में समान पक्षकारान व समान आराजी है। अतः यह वाद धारा 10 सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार चलने योग्य नहीं है ?

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या–2 पर है। जिसे साबित करने के लिए उसके द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। उक्त तनकी के संबंध में उनके द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–7 नियम–11 सीपीसी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जिसे न्यायालय ने आधारहीन होने से खारिज किया है। दौराने बहस अभिभाषक प्रतिवादी ने एक नज़ीर आरआरडी–14.02.2016 पेज नं. 102 पेश की है। जो इस प्रकरण पर लागू नहीं होती है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या–2 तनकी को अपने पक्ष में साबित करने में विफल रहा है। इसलिए यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

इस प्रकार उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादी अपने तनकी को साबित करने में सफल रहा है तथा प्रतिवादी नं. 2 अपनी तनकी को साबित करने में विफल रहा है। वादग्रस्त भूमि से संबंधित आराजी को मोमिया ट्रेस बन्दोबस्त सम्वत 2028 में सही रूप से प्रदर्शित किया हुआ है जिसमें उक्त आराजी के अडवा साबिक ख.न. 320 जिसके हाल ख. न. 423 है को उक्त मोमिया शीट में उत्तर से दक्षिण सीधी लाईन से प्रदर्शित कर रखा है। नवीन शीट में ईन्द्राज करते समय गलत रूप से हाल शीट में ख.न. 423 को ख.न. 415 के अडवा लाईन को काट कर ख.न. 416 की तरफ पूर्व पश्चिम लाईन हाल नक्शा ट्रेस में अंकित करा दिया जिससे ख.न. 422 का रकबा मुताबिक शीट कम हो गया एवं ख.न. 423 का रकबा हाल शीट मुताबिक बढ गया है। जिसे दुरस्त किया जाना उचित एंव न्याय संगत है। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मोमिया शीट बन्दोबस्त सम्वत 2028 अनुसार ख.न. 423 को हाल शीट में उत्तर दक्षिण सीधी लाईन से प्रदर्शित कर शीट को पूर्व की भांति किये जाने के आदेश दिया जाना उचित प्रतित होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के हक में डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि राजस्व रिकार्ड नक्शाशीट में वादग्रस्त भूमि ख0नं0 422 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा वाके शकूरपुरा तहसील टोंक को सम्वत 2028 बन्दोबस्त शीट मोमिया में प्रदर्शित किया हुआ था, उसी अनुसार हाल शीट में प्रदर्शित करवायी जाकर शीट की दुरूस्ती की जाये तथा प्रतिवादी संख्या 2 के खेत खसरा नम्बर 423 को मोमियां शीट के अनुसार उत्तर दक्षिण सीधी लाईन के अनुसार हाल शीट में दुरूस्ती की जाये तथा ख0नं0 422 में की गई पूर्व पश्चिम लाईन को हाल शीट में हटवाई जाये और शीट को मोमियां शीट के दुरूस्त करवायी जाये। तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 31-12-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज०)

(नित्या के0)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, टोंक
उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज०)

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, टोंक

मुकाम टोंक व अलजाम नित्या के0, आई.ए.एस. द्वारा अध्याशित

उनवान

श्योजी पुत्र भूरा जाति अहीर निवासी शकूरपुरा तहसील टोंक जिला टोंक

– वादी

बनाम

1. लादू पुत्र श्रीनारायण अहीर निवासी शकूरपुरा तहसील व जिला टोंक राज0
2. गोपी पुत्र लक्ष्मण अहीर निवासी शकूरपुरा तहसील व जिला टोंक राज0
3. छोटू पुत्र लक्ष्मण अहीर निवासी शकूरपुरा तहसील व जिला टोंक राज0
4. किशना पुत्र श्रीनारायण जाति अहीर निवासी शकूरपुरा तहसील व जिला टोंक राज0
5. प्रहलाद पुत्र श्रीनारायण जाति अहीर निवासी शकूरपुरा तहसील व जिला टोंक राज0
6. तहसीलदार टोंक तहसील टोंक

– प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री महेश शर्मा –अधिवक्ता वादी
श्री विजय बहादुर सिंह –अधिवक्ता प्रतिवादी 02
श्री रजनीश यादव –अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दावा उद्घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज

दावा नं0 152/2013

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, टोंक व हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी जाती है कि

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के हक में डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि राजस्व रिकार्ड नक्शाशीट में वादग्रस्त भूमि ख0नं0 422 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा वाके शकूरपुरा तहसील टोंक को सम्वत 2028 बन्दोबस्त शीट मोमिया में प्रदर्शित किया हुआ था, उसी अनुसार हाल शीट में प्रदर्शित करवायी जाकर शीट की दुरूस्ती की जाये तथा प्रतिवादी संख्या 2 के खेत खसरा नम्बर 423 को मोमियां शीट के अनुसार उत्तर दक्षिण सीधी लाईन के अनुसार हाल शीट में दुरूस्ती की जाये तथा ख0नं0 422 में की गई पूर्व पश्चिम लाईन को हाल शीट में हटवाई जाये और शीट को मोमियां शीट के दुरूस्त करवायी जाये। तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

वसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख .....: को जारी किया गया।

मोहर,

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज0)

(नित्या के0)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायल	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह साबूत महन्तनामा वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीशान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा महन्तनामा वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मिजान		

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज0)

नोटः–इसी खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।